

78  
40

राजस्थान आवासन मण्डल: जयपुर ।  
=====

संक्रमांक: - पा. ॥ कार्मिक/अस्पताल/११/२५४०

दिनांक: - २६-१०-११

कार्यालय आदेश


राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम १९७० के अन्तर्गत हाऊसिंग बोर्ड कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा में विक्रतार करते हुये सजीवनी हास्पिटल एवम् मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, १-२, लक्ष्मण पथ, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर को सामान्य शर्तों के अतिरिक्त निम्न विशेष शर्तों के साथ चिकित्सा उपभोग हेतु मान्यता दी जाती है ।

विशेष शर्तें:-  
=====

॥॥ हास्पिटल द्वारा रोगी की विभिन्न जाँचों पर १ टैस्ट ५०% राशि की छूट देय होगी ।


इसके अतिरिक्त अन्य शर्तें जो मण्डल द्वारा अन्य प्राईवेट हास्पिटलों पर लागू हैं, इस पर भी लागू होगी ।

उक्त आदेशों को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मण्डल के निर्णय की पूर्ण अपेक्षा में जारी किया जाता है ।

  
सचिव २६/१०

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- ॥॥ निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, राज० आवासन मण्डल, जयपुर ।
- ॥॥ वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव/वि. स. एवं मुख्य लेखाधिकारी/अति. सु. अभियन्ता.....
- ॥॥ उप आवासन आयुक्त वृत्त...../आवासीय अभियन्ता, खंड.....
- ॥॥ लेखाधिकारी ॥ वित्त ॥ लेखाधिकारी ॥ भुगतान ॥ रा. आममंडल, जयपुर ।
- ॥॥ समस्त अधिकारी /प्रकोष्ठ ॥ मुख्यालय.....
- ॥॥ डायरेक्टर, सजीवनी हास्पिटल, १-२, लक्ष्मण पथ, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर ।
- ॥॥ रक्षित पत्रावली /नोटिस बोर्ड ।

  
सचिव २६/१०  
१०/११